

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0


प्रथम पक्ष - झारखण्ड सरकार।

बनाम

वाद सं0 105/2022

द्वितीय पक्ष - अभिषेक कुमार बगैरह।

आदेश की क्र० सं० एवं तिथि	<u>दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर</u>	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
29/2/22	<p>उक्त वाद की कार्रवाई थाना बसिया के अप्राथमिकी सं० 44/2022 दिनांक 19/08/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) झारखण्ड सरकार की ओर से थाना प्रभारी छोटू उरॉव बनाम द्वितीय पक्ष (1) अभिषेक कुमार साहु उम्र 19 वर्ष पिता पन्नालाल साहु ग्राम जकजोर थाना बसिया जिला गुमला के द्वारा लोगो में दहशत फैलाने को लेकर विवाद करने की सम्भावना है। फलस्वरूप द्वितीय पक्षों के बीच शांति व्यवस्था भंग होने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार दं०प्र०सं० की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया ।</p> <p>उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :-</p> <p>उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान द्वितीय पक्षों के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी बसिया अन्य स्रोतों से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं।</p> <p>अतः द्वितीय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समय अवधि में किसी प्रकार की शांति भंग नहीं होने की सूचना अप्राप्त होने एवं वाद की कार्रवाई समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित ।</p>	


अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।